अनुदान संख्या 11 – वाणिज्य विभाग
GRANT No. 11 - DEPARTMENT OF COMMERCE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*6,00*	*1,60*	*-4,40*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*4,40*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	4314,55,00	5452,34,00	5395,31,94	-57,02,06
पूरक	Supplementary	1137,79,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				44,39,09
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	151,22,00	211,61,00	191,10,77	-20,50,23
पूरक	Supplementary	60,39,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				20,25,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	9235.00			
पू.	S.	1000.00	13016.37	13154.80	+138.43
पु.	R.	2781.37			
मुख्य शीर्ष "2057" पूर्ति तथा निपटान	Major Head "2057" Supplies and Disposals				
मू.	O.	13712.00			
पू.	S.	10000.00	17715.46	17641.39	-74.07
पु.	R.	-5996.54			
मुख्य शीर्ष "2407" बागान	Major Head "2407" Plantations				
मू.	O.	43440.00			
पू.	S.	2.00	65241.70	65231.70	-10.00
पु.	R.	21799.70			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	10000.00			
पू.	S.	2.00	2.00	..	-2.00
पु.	R.	-10000.00			
मुख्य शीर्ष "3453" विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	Major Head "3453" Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	355068.00			
पू.	S.	102775.00	444819.38	443504.05	-1315.33
पु.	R.	-13023.62			

(I) ₹10042.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹10002.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:—

(का) "चाय — अन्य व्यय — बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" — ₹4920.00 लाख;

(खा) "काफी — अन्य व्यय — बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" — ₹1081.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(गा) "रबड़ — अन्य व्यय — बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" — ₹2771.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(घा) "मसाले — अन्य व्यय — बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" — ₹690.00 लाख; और

(ङ) "अन्य व्यय — बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" — ₹540.00 लाख।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओ/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) जुलाई, 2017 और दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए पूरक अनुदान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(का) मुख्य शीर्ष "3451" — "सचिवालय — अवसंरचना और आईटी आदि का आधुनिकीकरण" — ₹227.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹381.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹608.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो, ₹376.87

(I) Provision of ₹10042.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2017 and March, 2018) remained wholly unutilized under nine heads; of these ₹10002.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Tea - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹4920.00 lakhs;

(B) "Coffee - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹1081.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(C) "Rubber - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹2771.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(D) "Spices - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹690.00 lakhs; and

(E) "Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹540.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Supplementary grant obtained in July, 2017 and December, 2017 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Modernisation of Infrastructure and IT etc." - the original provision of ₹227.00 lakhs was augmented to ₹608.00 lakhs by obtaining supplementary grant of

लाख की सीमा तक स्थापना संबंधित खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

₹381.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹376.87 lakhs - due to requirement of less funds towards establishment related expenses.

(खा) मुख्य शीर्ष "3453" – "निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹22910.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹8750.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹31660.00 लाख कर दिया गया । तथापि, ₹387.00 लाख की सीमा तक कार्यान्वयन एजेंसियों से कम निधियों की आवश्यकता होने कारण हुई।

(B) Major Head "3453" - "Assistance for Export Promotion and Market Development - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - the original provision of ₹22910.00 lakhs was augmented to ₹31660.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹8750.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹387.00 lakhs - due to requirement of less funds by the implementing agencies.

(गा) मुख्य शीर्ष "2057" – "खरीद" – "अवसंरचना और आईटी आदि का आधुनिकीकरण" – ₹1500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹10000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹11500.00 लाख कर दिया गया । तथापि, ₹1318.99 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(C) Major Head "2057" - "Purchase - Modernisation of Infrastructure and IT etc." - the original provision of ₹1500.00 lakhs was augmented to ₹11500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹10000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1318.99 lakhs;

(III) मुख्य शीर्ष "2057" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(III) Under Major Head "2057" - savings occurred under the following heads:-

(का) "खरीद – डीजीएस और डी" – ₹3374.04 लाख की बचत (₹8566.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ; और

(A) "Purchase - DGS & D" - saving of ₹ 3374.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8566.00 lakhs); and

(खा) "निरीक्षण – पूर्ति निरीक्षणालय महानिदेशालय" – ₹1377.58 लाख की बचत (₹3646.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Inspection - Directorate General of Supplies Inspectrate" - saving of ₹1377.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3646.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत डीजीएस और डी के समाप्ति के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to winding up of DGS & D.

(IV) मुख्य शीर्ष "2407" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(IV) Under Major Head "2407"- savings occurred under the following heads:-

(का) "चाय – अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹576.50 लाख की बचत (₹850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Tea - Special Component Plan for Scheduled Castes - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - saving of ₹576.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹850.00 lakhs); and

(खा) "काफी – अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹680.00 लाख की बचत (₹850 लाख स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "Coffee - Special Component Plan for Scheduled Castes - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - saving of ₹680.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹850.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अनुसूचित जाति लाभार्थी से कम दावे प्राप्ति होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims from scheduled caste beneficiaries.

(V) मुख्य शीर्ष "3453" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(V) Under Major Head "3453"- savings occurred under the following heads:-

(का) "व्यापार प्रतिनिधित्व – व्यापार आयुक्त" – ₹1361.59 लाख की बचत (₹17254.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश में मिशन द्वारा स्थापना संबंधित खर्चों निधियों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "Trade Representation - Trade Commissioners" - saving of ₹1361.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17254.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment related expenses by missions abroad.

(खा) "व्यापार सूचना और सांख्यिकी – वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक" – ₹191.49 लाख की बचत (₹3670.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रकाशन और अन्य स्थापना संबंधित व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "Trade Information and Statistics - Director General of Commercial Intelligence and Statistics" - saving of ₹191.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3670.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Publication and other establishment related expenses.

(गा) "निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता– निर्यात संवर्धन और बाजार विकास संगठनों को सहायता" – ₹13446.01 लाख की बचत (₹110046.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण हुई।

(C) "Assistance for Export Promotion and Market Development - Grants-in-aid to Export Promotion and Market Development Organizations" - saving of ₹13446.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹110046.00 lakhs) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹495.30 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसूचित जाति लाभार्थी से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Boards Authorities and Autonomous Bodies"- saving of ₹495.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to receipt of less claims from scheduled caste beneficiaries.

(ड़) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अन्य संगठन" – ₹112.29 लाख की बचत (₹300.00 लाख स्वीकृत प्रावधान

(E) "International Cooperation - Other Organizations" - saving of ₹112.29 lakhs (against the

की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई। ।

(VI) एक शीर्ष अंतर्गत ₹70.87 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थी।

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹23576.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2028.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष “2407” –

(क) “चाय” –

(i) “उपकर के संग्रहण के अंतर्गत अदायगी – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय” – ₹349.00 लाख।

(ii) “पौधरोपण के लिए सहायिकी – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय” – ₹850.00 लाख।

(iii) “अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय” – ₹7199.00 लाख।

(ख) “काफी” –

(I) “उपकर के संग्रहण के अंतर्गत अदायगी – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय” – ₹2444.00 लाख।

(ii) “पौधरोपण के लिए सहायिकी – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय” – ₹915.00 लाख।

sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to receipt of less claims from International Organisations.

(VI) Under one head saving of ₹70.87 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.

2. (I) The above savings were partly (₹23576.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹2028.00 lakhs in December, 2017 and March, 2018 - under the following heads:-

(A) Major Head “2407” -

(a) “Tea” -

(I) “Payment against collection of Cess - Boards Authorities and Autonomous Bodies”- ₹349.00 lakhs.

(ii) “Subsidy for replantation - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - ₹850.00 lakhs.

(iii) “Other expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - ₹7199.00 lakhs.

(b) “Coffee” -

(I) “Payment against collection of Cess - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - ₹2444.00 lakhs.

(ii) “Subsidy for Plantation - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - ₹915.00 lakhs.

(iii) "अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹2129.00 लाख।

(ग) "रबड़" –

(i) "उपकर के संग्रहण के अंतर्गत अदायगी – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹4012 लाख।

(ii) "अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹3006.00 लाख।

(घ) "मसाला" –

(i) "उपकर के संग्रहण के अंतर्गत अदायगी – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹736.00 लाख।

(ii) "अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹1454.00 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "3453" – "अन्य व्यय – अंतर्राष्टीय सम्मेलन" – ₹482.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹485.42 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – वाणिज्य विभाग" – ₹3296.67 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए ₹619.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹9627.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डीजीएस और डी के समाप्ति पर कर्मचारियों का स्थानांतरण किए जाने और नवनिर्मित प्रभागों में परामर्शदाता की नियुक्ति किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3453" – "विदेश व्यापार नियंत्रण" –

(iii) "Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹2129.00 lakhs.

(c) "Rubber" -

(i) "Payment against collection of cess - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹4012.00 lakhs.

(ii) "Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹3006.00 lakhs.

(d) "Spices" -

(i) "Payment against collection of cess - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹736.00 lakhs.

(ii) "Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" -₹1454.00 lakhs.

(B) Major Head "3453" - "Other Expenditure - International Conferences" - ₹482.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹485.42 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Commerce" - excess of ₹3296.67 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9627.00 lakhs including supplementary grant of ₹619.00 lakhs obtained in December, 2017) was due to transfer of staff on winding up of DGS&D and engagement of consultant in newly created divisions.

(B) Major Head "3453" - "Foreign Trade Control"-

(क) "विदेश व्यापार महानिदेशक" – ₹685.91 लाख का अधिक व्यय। (₹12019.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और कर्मियों को संविदात्मक आधार पर रखे जाने के कारण हुआ।

(ख) "अवसंरचना और आईटी आदि का आधुनिकीकरण" – ₹183.71 लाख का अधिक व्यय। (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय का नवीकरण और हाई इंड कंप्यूटर सर्वर की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) "व्यापार सुधार और व्यापार रक्षा – व्यापार सुधार महानिदेशक" – ₹245.11 लाख का अधिक व्यय (₹1136.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और स्थापना संबंधित लंबित दावे की मंजूरी के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹94.30 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹2050.23 लाख) हुईं जो, जुलाई, 2017 और दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए ₹6039.00 लाख के पूरक अनुदान का 34 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुईं: –

(a) "Director General of Foreign Trade" - excess of ₹685.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12019.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts and hiring of personnel on contractual basis.

(b) "Modernisation of Infrastructure and IT etc." - excess of ₹183.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards renovation of office and procurement of high end computer servers.

(C) "Trade Remedies and Trade Defence - Directorate General of Trade Remedies" - excess of ₹245.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1136.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts and clearance of pending establishment related claims.

(III) Under one head excess of ₹94.30 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹2050.23 lakhs) constituted 34 percent of the supplementary grants of ₹6039.00 lakhs obtained in July, 2017 and December, 2017 and 10 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5453"	Major Head "5453"				
विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	10050.00			
पू.	S.	139.00	8139.00	8114.24	-24.76
पु.	R.	-2050.00			

(I) "व्यय – अन्य व्यय – अवसंरचना और आईटी आदि का आधुनिकीकरण" के अंतर्गत ₹139.00 लाख की निधि प्राप्त किए पूरक अनुदान से दिया गया, जो, तथापि, ₹24.76 लाख की सीमा तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा चल रहे कार्यों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "General - Other Expenditure - Modernisation of Infrastructure and IT etc." - funds of ₹139.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹24.76 lakhs - due to requirement of less funds towards ongoing work by Central Public Works Department.

(II) "सामान्य – अन्य व्यय – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹2050.00 लाख की बचत (₹10050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(II) Under "General - Other Expenditure - Boards, Authorities and Autonomous Bodies" - saving of ₹2050.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10050.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the implementing agencies.

4. मूल्य स्थिरीकरण निधि

मूल्य स्थिरीकरण निधि अप्रैल, 2003 में चाय, कॉफी, रबड़ और तम्बाकू छोटे उत्पादकों और चार हेक्टेयर तक भूमि की परिचालन को वित्तिय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद संचालन के बिना पिछले सात वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के औसत मूल्य से नीचे मूल्य गिरा। सितंबर, 2003 में सरकार द्वारा स्थापित मूल्य स्थिरीकरण निधि न्यास स्कीम के कार्यान्वयन के लिए किया गया। स्कीम के अंतर्गत, ₹482.88 करोड़ का भारत सरकार का अंशदान और उत्पादकों का ₹17.22 करोड़ का अंशदान (प्रवेश शुल्क संबंधित) सहित भारत सरकार के लोक लेखा में ₹500.00 करोड़ रखा गया था।

4. Price Stabilization Fund

Price Stabilization Fund was introduced in April, 2003 for a period of 10 years with the objective of providing financial relief to small growers of tea, coffee, rubber and tobacco having operational holdings of land up to four hectares, when the price fall below the average price of previous seven years International price, without resorting to the practice of procurement operations by Government agencies. Price Stabilization Fund Trust was set up by the Government in September, 2003 to implement the scheme. Under the scheme, a corpus of ₹500.00

उत्पादक सदस्य को प्रवेश शुल्क के लिए ₹500.00 करोड़ (अप्रतिदेय) जमा करने आवश्यकता थी, जो पीएसएफ के कॉर्पस निधि का हिस्सा बन जाएगा। 30.09.2013 को स्कीम बंद हो गया था।

crores was to be kept in Public Account of Government of India with Government of India contribution of ₹482.88 crores and Growers' contribution (towards entry fee) of ₹17.22 crores. The grower member was required to deposit ₹500 (non-refundable) towards entry fee, which would form part of the corpus fund of PSF. The scheme was closed on 30.09.2013.

वर्ष 2017–18 की मूल्य स्थिरीकरण निधि का लेखा निम्नानुसार थाः–

The Account of Price Stabilization Fund for 2017-18 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	951,57,78
प्राप्तियां	Receipt	..
ब्याज जमा	Interest Credited	236,09,33
अदायगियां	Payments	..
अंतशेष	Closing Balance	1187,67,11